भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-978
उत्तर देने की तारीख-29/07/2024

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण

†978. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा जारी भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 28 नवम्बर, 2014 (परिशिष्ट-9) को ध्यान में रखते हुए अप्रशिक्षित कार्यरत शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डीएलएड) करने की अनुमति दी गई है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का उद्देश्य क्या है;
(ग) क्या अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में संबंधित अधिनियम की धारा 23 (2) के अंतर्गत और एनसीटीई की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, 2010 के अनुसार उन्हें 31 मार्च, 2019 तक डीएलएड प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था;
(घ) इस संबंध में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि एनआईओएस द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण की मान्यता को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जा सका;
(च) इसे राजपत्र में कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है; और
(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा अभ्यर्थियों को कब तक न्याय और नौकरी दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (छ): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रावधान है कि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, नियुक्त या पद पर आसीन प्रत्येक शिक्षक, जिसके पास अधिनियम में यथा निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, उसे दिनांक 31.03.2019 तक ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करनी होंगी। तदनुसार, एनसीटीई की उत्तरी क्षेत्रीय समिति (एनआरसी) ने शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के स्वयं पोर्टल के माध्यम से

डी.एल.एड (ओडीएल) कार्यक्रम के लिए एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2014 के तहत एनआरसी, एनसीटीई के 22 सितंबर, 2017 के आदेश के तहत कुछ शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) को मान्यता प्रदान की।

वर्ष 2017-2019 के दौरान एनआईओएस द्वारा संचालित डी.एल.एड (ओडीएल) पाठ्यक्रम के संबंध में एनआरसी, एनसीटीई का मान्यता आदेश एनसीटीई और एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

एनआईओएस द्वारा संचालित 18 महीने का डी.एल.एड (ओडीएल) पाठ्यक्रम की परिकल्पना, सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रारम्भिक शिक्षकों को आवश्यक योग्यता प्राप्त करने हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2019 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 19842 में जारी निदेशों के अनुपालन में, विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिपत्र भेजा था कि नए सिरे से नियुक्ति के लिए एनआईओएस द्वारा आयोजित 18 महीने के डी.एल.एड (ओडीएल) पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों पर विचार करें। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 23583-84 में जारी दिनांक 28.11.2023 के निर्णय के तहत व्यवस्था दी है कि 18 महीने का डी.एल.एड (ओडीएल) नियमित 2 वर्षीय डी.एल.एड पाठ्यक्रम के समतुल्य नहीं है।

*****